न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर) राज.

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
163/2020	11-09-2020	25/04/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

----:: वादी

बनाम

01. मुख्तारसिंह पुत्र श्री ठाकरसिंह
02. शीला बाई
03. स्वग कौर
04. दीपा बाई
05. मिन्द्रो बाई पुत्रीयान श्री ठाकरसिंह
06. महेन्द्रसिंह
07. गुरमीतसिंह पुत्रान श्री ठाकरसिंह
08. हरनामसिंह पुत्र श्री दीवानसिंह
09. देवती बाई पत्नी श्री फत्तासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
10. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के

संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 3/32 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर) राज.

काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 07-01-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5032 दिनांक 04-04-2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये चांदबीर पुत्र मदनसिंह जाट सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	281	0.00938	बारानी 2	0.0375
02.	गुरमीत सिंह महेन्द्र सिंह पुत्रान ठाकर सिंह मिन्द्रोबाई पि0 ठाकरसिंह हि0 201/2063 दीपो बाई शीला बाई स्वर्णकोर पि0 ठाकरसिंह हि. 1608/9063 मुख्तयार सिंह पुत्र ठाकर सिंह हि0 1004/9063 अमरसिंह पि0 सोहनसिंह हि0 3750/9063 देवती बाई पत्नी फत्तासिंह हि0 1250/9063 हरनामसिंह पि दिगानसिंह हि0 1250/9063 जाति रायसिख सा. देह गैर खातेदार	281/1	0.09062	बारानी 2	0.3625

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 163/2020 | तारीख दायर 11-09-2020 | तारीख फैसला

उनवान

शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

----:: वादी

बनाम

01. मुख्तारसिंह पुत्र श्री ठाकरसिंह
02. शीला बाई
03. स्वग कौर
04. दीपा बाई
05. मिन्द्रो बाई पुत्रीयान श्री ठाकरसिंह
06. महेन्द्रसिंह
07. गुरमीतसिंह पुत्रान श्री ठाकरसिंह
08. हरनामसिंह पुत्र श्री दीवानसिंह
09. देवती बाई पत्नी श्री फत्तासिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
10. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिकी ::-

हाल आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये चांदबीर पुत्र मदनसिंह जाट सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	281	0.00938	बारानी 2	0.0375
02.	गुरमीत सिंह महेन्द्र सिंह पुत्रान ठाकर सिंह मिन्द्रोबाई पि0 ठाकरसिंह हि0 201/2063 दीपो बाई शीला बाई स्वर्णकोर पि0 ठाकरसिंह हि. 1608/9063 मुख्तयार सिंह	281/1	0.09062	बारानी 2	0.3625

अकर सिंह हि0 1004 / 9063 अमरसिंह पि0 सिंह हि0 3750 / 9063 देवकी बाई पत्नी फत्तासिंह 1250 / 9063 हरनामसिंह पि दिगानसिंह हि0 250 / 9063 जाति रायसिख सा. देह गैर खातेदार				

कर्सीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल किया जावे।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)